न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 94 / 2013 / 225 आरटीए

बलदेवसिंह पुत्र स्व. हरीसिंह जाति जटसिख निवासी लालबाई तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. हरदेवसिंह पुत्र स्व. हरीसिंह जाति जटसिख निवासी लालबाई तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब।
2. बाबूसिंह पुत्र स्व. हरीसिंह जाति जटसिख निवासी लालबाई तहसील गिदड़बाहा जिला मुक्तसर पंजाब।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0सं0 14 / 2013 अनवानी बलदेवसिंह बनाम हरदेवसिंह आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक –13.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुये रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गलत व विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय यह अवधारणा पारित कि एक सह हिस्सेदार अपने विरासतन हक व हिस्से को किसी के पक्ष मे करने हेतु स्वतंत्र है, कतई विधि विरूद्ध निष्कर्ष पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित करने से पूर्व अपीलांट की ओर से प्रस्तुत विधिक स्थिति एवं न्याय दृष्टांतो का ना तो उल्लेख किया है और न ही विवेचन किया है। कानूनन संपति अन्तरण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार हक त्याग विलेख के अन्तर्गत एक सहदायिक अथवा सह–अंशधारी द्वारा किसी विशेष सह–अंशधारी के पक्ष मे अपना हक त्याग नही किया जा सकता बल्कि उसका हक त्याग शेष सभी सह–अंशधारियों मे निहित होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अवधारणा पारित की कि कथित दस्तबरदारी रजिस्टर्ड विलेख है तथा इस कारण

अपीलांट को सक्षम दीवानी न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए, कतई विधि विरूद्ध है। अपीलांट ने प्रश्नगत दस्तावेज दस्तबरदारी विलेख को कपट अथवा धोखा के आधार पर चुनौती नही दी है बल्कि दस्तबरदारी विलेख के विधिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए इस दस्तबरदारी विलेख से बतौर सह–अंशधारी अपीलांट को भी हित निहित हो जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज इस आधार पर कि प्रश्नगत दस्तबरदारी विलेख के जरिये रेस्पो0 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज हो चुके है। अपीलांट का प्रथम दृष्टयां मामला न मानकर भूल की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRT 2014(1) Page 509, AIR 2003 A.P. Page 498, AIR 1985 NOC 57 (MAD.) page 25 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 की माता सरजीतकौर के नाम दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद विरासतन उनके वारिसान पति व उसके 4 पुत्रो एवं एक पुत्री को प्राप्त हुई जिसमे से राजसिंह, सुखदीप कौर व पिता हरीसिंह द्वारा अपने विरासतन प्राप्त हक हिस्से की दस्तबरदारी रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे निष्पादित करवा दी गई। इस प्रकार उनका उक्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। घरूविभाजन मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 को चक 3 एमएमके के खाता सं. 76/55 मे 0.211 है व इसी चक के खाता सं. 70/52 मे 1.686 है0 हिस्सा मे आई व उपरोक्तानुसार आराजी रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुकी है। विधि अनुसार कोई भी सहहिस्सेदार अपने विरासतन हक व हिस्से का परित्याग किसी के पक्ष मे करने हेतु स्वतंत्र है इसलिए रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे की गई दस्तबरदारी नियमानुसार सही है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा कोई खातेदार काश्तकार सांझे खाते से अपना हिस्सा रहन व बैय करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे RRD 2014 page 623, CCC 2015(2) page 546, RRD 2008 page 762, RRT 2009 (2) page 1398, RRT 2010(2) page 1392, Gyanchand VS State and Ors (Rajasthan High Court) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 3 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीए पेश कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट की माता सरजीतकौर के नाम से दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के उपरांत विरासतन सरजीतकौर के वारिसान हरीसिंह पति, हरदेवसिंह, बलदेवसिंह, बाबूसिंह, राजसिंह पुत्र एवं सुखदीपकौर पुत्री को प्राप्त हुई जिसमे हरीसिंह, राजसिंह व सुखदीपकौर ने अपने विरासत मे प्राप्त हक व हिस्से का परित्याग हरदेवसिंह व बाबूसिंह के पक्ष मे जरिये दस्तबरदारी कर दिया। अपीलांट के कथनानुसार उक्त दस्तबरदारी विलेख से मात्र हरदेवसिंह व बाबूसिंह के हिस्से मे वृद्धि न हो सकती अपितु सहअंशधारी द्वारा अपने हिस्से का परित्याग के पश्चात दस्तबरदारी विलेख के निष्पादक के हिस्सा की सीमा तक शेष सभी अंशधारियों मे समभाग की दर से निहित होकर अन्य शेष समस्त सभी अंशधारियों के हित मे समभाग की दर से वृद्धि होती है। उपरोक्त परिस्थितियों में दस्तबरदारी के जरिये किये गये परित्याग की भूमि मे हरदेवसिंह व बाबूसिंह के साथ अपीलांट के हिस्से मे भी वृद्धि हो जाती है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के माता के नाम से दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान को प्राप्त हुई जिसमे से तीन वारिसान द्वारा अपने हक व हिस्से की परित्याग दो वारिसान के पक्ष मे करने के उपरांत केवल दो वारिसान हरदेवसिंह व बाबूसिंह के हिस्से मे वृद्धि नही होकर शेष सभी उत्तराधिकारी हरदेवसिंह व बाबूसिंह व बलदेवसिंह का बराबर हिस्सा रह जावेगा। उक्तानुसार दस्तबरदारी के उपरांत हरदेवसिंह, बाबूसिंह व बलदेवसिंह का समभाग हिस्से की गणना करने पर कुल 2.227 है0 मे स्व. सरजीतकौर के तीनो वारिसान का बहिस्सा बराबर प्राप्त होने के उपरांत अपीलांट बलदेवसिंह 0.759 है0 हिस्सा निहित हो जाता है जिसमे दोनो चको मे 0.338 है0 एवं 0.042 है0 कुल 0.380 है0 भूमि अपीलांट बलदेवसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस प्रकार दोनो चको मे 0.338 व 0.042 है0 कुल 0.380 है0 हिस्सा अपीलांट बलदेवसिंह को दस्तबरदारी होने के उपरांत अगर दावा अपीलांट के पक्ष मे डिक्री होता है तो प्राप्त होगा, इसलिए अपीलांट हितो को सुरक्षित रखते हुए उक्तानुसार स्थगन आदेश पारित करते हुए मूलवाद के निस्तारण होने तक रहन बैय ना करने हेतु रेस्पो0 को पाबंद किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने के पर्याप्त आधार होने के कारण अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2013 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.03.2013 मे

संशोधन करते हुए रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि चक 3 एमएमके के खाता सं. 70/52 मे 1.686 है0 मे 1/5 हिस्सा एवं इसी चक 3 एमएमके के खाता सं. 76/55 मे रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के नाम दर्ज 0.211 है0 मे 1/5 हिस्सा भूमि को मूल वाद के निस्तारण होने तक रेस्पो0 सं. 1 व 2 किसी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नही करें तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़